**पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 19 अभियुक्त गिरफ्तार।**

**दिनांक- 18.06.2024**

**दिनांक 17/18.06.2024 को थाना आशियाना 01, पीजीआई 06, मोहनलालगंज 10, गाजीपुर 01, माल 01, अभियुक्त गिरफ्तार ।**

**भा0द0वि0**

**थाना कैण्ट**-दिनांक 18.06.2024 को थाना कैण्ट द्वारा बताया गया कि वादी श्री विपिन कुमार पुत्र संकटा प्रसाद शुक्ला नि0- ग्राम व पोस्ट सरोसा थाना संदना जनपद सीतापुर ने थाना कैण्ट पर सूचना दिया कि वादी ऊबर टैक्सी चलाता है। वादी दिनांक 17.06.2024 को ऊबर टैक्सी पर सवारी (तनवीर पुत्र महिबुल हसन 450/128/31 नेपियर रोड लखनऊ उम्र 65 वर्ष) को लेकर मेदान्ता हस्पिटल जा रहा था कि रजमन थाना क्षेत्र कैन्ट में मस्जिद के पास एक वाहन स्विफ्ट डिजायर सं. UP32FN1041 के चालक ने वाहन को लापरवाहीपूर्वक व तेजी से चलाते हुए वादी की गाडी UP32JN2131 में तेज टक्कर मारी जिसमे वादी की गाडी में बहुत नुकसान हुआ और वादी को भी काफी चोटें आयी है। वादी की गाडी में जो सवारी थी उनको गंभीर चोट आने के कारण उनकी (तनवीर उपरोक्त) मृत्यु हो गई है। **इस सूचना पर थाना कैण्ट पर मु0अ0सं0- 063/2024 धारा- 279/304-ए/337/427 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

**थाना गोसांईगंज-** दिनांक 18.06.2024 को थाना गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि स्टेशन मास्टर रहमत नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ के द्वारा थाना गोसांईगंज एक मेमों इस आशय से भेजा गया कि आज दिनांक 18.06.2024 को रहमतनगर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या UP RTPR के गार्ड द्वारा बताया गया है कि डाउम लारज में होम सिगनल के बराबर अज्ञात शव पड़ा है जो कि ट्रैन से कट गया है। **इस सूचना पर उ0नि0 श्री चन्द्रशेखर सिंह मो0नं0- 9451000101 द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक की पहचान राहुल रावत उम्र करीब 17 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनरायन निवासी रहमतनगर थाना गोसांईगंज लखनऊ के रूप में मृतक के बड़े भाई चन्द्रपाल रावत पुत्र लक्ष्मीनरायन निवासी रहमतनगर थाना गोसांईगंज लखनऊ द्वारा की गई। मृतक राहुल उपरोक्त की ग्रा0 रहमत नगर में रेलवे ट्रैक पर ट्रैन की चपेट आ जाने से मृत्यु हो गई। मृतक ईंट भठ्ठे पर काम करता था।

**थाना बीकेटी-** दिनांक 18.06.2024 को थाना बीकेटी द्वारा बताया गया कि 100 शैय्या अस्पताल लखनऊ से थाना बीकेटी पर एक किता मेमो इस आशय से दाखिल किया कि आज दिनांक 18.06.2024 को समय करीब 02.45 बजे लवकुश पुत्र हरीश चन्द्र निवासी तरखल थाना अतरौली जनपद हरदोई को इस चिकित्सालय में मृत अवस्था में लाया गया। **इस सूचना पर उ0नि0 श्री राहुल तिवारी मो0नं0- 8005861592 थाना बीकेटी द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक लवकुश उम्र करीब 20 वर्ष टैक्टर पर बैठकर नेवादा हरदोई जा रहा था कि रास्ते में मंझी पुल के पास झटका लगने के कारण ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और ट्रैक्टर के पहिये के नीचे आ गया, जिसे वहां मौजूद लोगों द्वारा इलाज हेतु एंबुलेंस की सहायता से सौ शैय्या अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों द्वारा लवकुश उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक ईंट भठ्ठे पर काम करता था ।

**<u>थाना सुशान्त गोल्फ सिटी-</u>** दिनांक 18.06.2024 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती पिंकी देवी पत्नी स्व0अनन्त प्रकाश मिश्र निवासिनी महम्दापुर पो0 विसावाँ थाना विसावाँ जिला सीतापुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर सूचना दिया कि वादिनी ने अपनी पुत्री आयुशी मिश्रा की शादी 08 मई 2023 में नितिन मिश्र पुत्र श्रीप्रकाश निवासी गाँव उदयपुर पो0 विसावाँ थाना विसावाँ जनपद सीतापुर के साथ दान दहेज देकर की थी। लेकिन शादी के तुरन्त बाद ही नितिन व उसके माता-पिता द्वारा और दहेज की माँग करने लगे। पहली शादी की सालगिरह में भी नितिन की जिद करने पर वादिनी ने एक चैन व अंगूठी व 25,000/- रुपये दिए थे फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुआ और बार-2 वादिनी की बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। उसको बुरी तरह से मारता-पीटता था। तथा वादिनी के नाम से जो जमीन है उसको अपने नाम पर करने के लिए कहता रहता था। वादिनी की बेटी के विरोध करने पर उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल देता था। आज जब वादिनी की बेटी मेदान्ता हॉस्पिटल से ड्यूटी करके वापस आई तो नितिन उससे लड़ाई-झगड़ा करने लगा नितिन ने घर में रखे कुकर से लगातार वादिनी की पुत्री आयुशी मिश्रा के चेहरे पर मार-मारकर दहेज के लिए हत्या कर दिया तथा घर से भाग गया। **इस सूचना पर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर मु0अ0सं0- 303/2024 धारा- 498-ए/304-बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट बनाम नितिन मिश्रा, श्रीप्रकाश (ससुर), सास (नाम अज्ञात) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**